

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 सितम्बर 2016—आश्विन 4, शक 1938

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2016

फा. 12-वि.निर्वा.-2016-चार-राज्यसभा-224.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती हैं:—

1. क्रमांक 100/CS-MP/3/2016(1), दिनांक 26 सितम्बर 2016
2. क्रमांक 100/CS-MP/3/2016(2), दिनांक 26 सितम्बर 2016

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर, 2016—आश्विन 04, 1938 (शक)

अधिसूचना

सं. 100-रा.स.-म.प्र.-3-2016(1).—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित डॉ. नजमा ए. हेप्तुल्ला का स्थान, जिसकी पदावधि 2 अप्रैल, 2018 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनके त्यागपत्र देने के कारण, 20 अगस्त, 2016 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-चुनाव कराना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

- (अ) मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 20 अक्टूबर, 2016 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें.
- (आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:—
- (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख - 3 अक्टूबर, 2016 (सोमवार);
- (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 4 अक्टूबर, 2016 (मंगलवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख - 6 अक्टूबर, 2016 (गुरुवार);
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 17 अक्टूबर, 2016 (सोमवार); और
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 20 अक्टूबर, 2016 (गुरुवार); नियत करता है और
- (इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, dated 26th September, 2016—Asvina 4, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-CS-MP-3-2016 (1).—WHEREAS, the seat of Dr. Najma A. Heptulla in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, has become vacant on 20th August, 2016 by the reason of resignation, before the expiration of her term of office which was up to and including the 2nd April, 2018; and

Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—

- (A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh to elect, before 20th October, 2016 (Thursday), and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) **appoints**, with respect to the said election,—
- (a) the 3rd October, 2016 (Monday), as the last date for making nominations;

- (b) the 4th October, 2016 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 6th October, 2016 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 17th October, 2016 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) the 20th October, 2016 (Thursday), as the date before which the election shall be completed, and
- (C) **fixes the hours from 9.00 A.M. to 4.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd./-

(R. K. SRIVASTAVA)

Senior Principal Secretary to the
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर, 2016—आश्विन 04, 1938 (शक)

अधिसूचना

सं. 100-रा.स.-म.प्र.-3-2016(2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा तारीख 26 सितम्बर, 2016, को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में, एतद्द्वारा:—

- (I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और
- (II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है.

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी (2)
श्री ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय.	श्री राकेश कुशरे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश

आदेश से,
हस्ता./-

(आर. के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001
New Delhi, dated 26th September, 2016—Asvina 4, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-CS-MP-3-2016 (2).—In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Madhya Pradesh, hereby:—

- (I) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (II) appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions; in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 26th September, 2016:—

TABLE

Officer Designated as Returning Officer (1)	Officer Appointed as Assistant Returning Officer (2)
Sri. A. P. Singh Principal Secretary in charge, Legislative Assembly, Madhya Pradesh.	Shri Rakesh Kushre, Deputy Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh.

By order,

Sd./-

(R. K. SRIVASTAVA)
Senior Principal Secretary to the
Election Commission of India.